ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-1, No.-1, PP-208-210,YEAR-2013

नेहरू कमेटी रिपोर्ट : प्रतिक्रिया और निहितार्थ

❑ संजय यादव

मद्रास कांग्रेस के निर्णय के अनुसार 12 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. एम.ए. अन्सारी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास मे यह सर्वदलीय सम्मेलन एक युगान्तकारी घटना थी। इस के पूर्व भारत मे राजनीतक, धार्मिक, तथा व्यापारिक संगठन एक साथ, एक स्थान पर कभी उपस्थित नही हो सके थे। इस सर्वदलीय सम्मेलन ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा तथा दषा तय किया।[1] प्रायः सभी दलों के चोटी के नेता इस सम्मेलन मे उपस्थित थे। 19 मई 1928 को बम्बई में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में भारत के लिए संविधान का प्रारूप बनाने के प्रश्न पर समिति के गठन का एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसी आधार पर एक समिति गठित की गयी, जिसे भारतीय शासन विधान के मूलभूत सिद्धान्त निर्धारित करके 1 जुलाई 1928 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस समिति के अध्यक्ष पं. मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए इस कमेटी का नाम नेहरी कमेटी रखा गया। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नये अधिराज्य के संविधान की रूप रेखा थी। दस अगस्त 1928 को प्रस्तुत यह रिपोर्ट ब्रिटानी सरकार के भारतीयों को एक संविधान बनाने के लिए आयोग्य बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्य में दिया गया एक सशक्त प्रत्युत्तर था।

उद्देश्य– प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य नेहरू कमेटी रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन करने के साथ–साथ उसकी विभिन्न दलों द्वारा दी गयी, प्रतिक्रिया तथा भारतीय संविधान पर उसके प्रभाव का अध्ययन करना है।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोध पत्र मे विश्लेशणात्मक तथा ऐतिहासिक पद्धतियों का अवलम्ब लिया गया है। शोध की प्रमाणिकता के लिए विभिन्न विद्वानों की कृतियों, पत्र–पत्रिका तथा विविध पुस्तकों से सन्दर्भ ग्रहण किया गया है।

नेहरू कमेटी का गठन– एम.ए. अन्सारी की अध्यक्षता मे हुए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समिति मे पं. मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसलिए इस समिति को नेहरू कमेटी कहा गया।[2] पं. मोती लाल नेहरू के अतिरिक्त पं. जवाहर लाल नेहरू सचिव, के गुरूत्तर दायित्व निभा रहे थे। इसके अतिरिक्त सर तेज बहादुर सप्रू, सर इमाम, जी.आर. प्रधान, एन.एम.जोश, एस कुरैशी, सुभाशचन्द्र बोस, एम.एस.अणे, डॉ. मुकुन्द राम राव जयकर और सरदार मंगल सिंह सदस्य थे।[3] नेहरू कमेटी रिपोर्ट के सम्मुख दो प्रमुख चुनौतियाँ थी।

1 – औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा मद्रास कांग्रेस 1927 में स्वीकृत हुए प्रस्तावों के अनुसार पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लक्ष्य का प्रश्न।

2 – साम्प्रदायिक समस्या के समाधान का प्रश्न।

उपरोक्त दोनों प्रश्नों पर समान दृष्टिकोण के अभाव मे किसी सर्वमान्य निर्णय पर पहुँचना सम्भव नही था। समिति को प्रारम्भ से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो यह कमेटी लार्ड बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करके गठित की गयी थी। दूसरे यह निरन्तर चुनौतियों का सामना करती रही। इसके सदस्यों मे मत भिन्नता भी थी तथा सभी सदस्यों में कार्य करने के प्रति रूचि भी नही थी। गाँधी जी को सूचना देते हुए पं. मोतीलाल नेहरू ने लिखा – 'कि मुझे समिति से कोई बड़ी

शोध अध्येता– राजनीति विज्ञान, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

उम्मीद नही है फिर भी प्रयास तो करने ही होंगे।[4] अथक प्रयास के बाद संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। समिति के मुख्य सुझाव इस प्रकार थे –

1. जनसंख्या के आधार पर बहुसंख्यकों तथा अल्पसंख्यकों के लिए स्थान आरक्षित किये जायें।
2. बहुसंख्यकों के लिए आंशिक स्थानों के आंशिक आरक्षण के साथ शेष स्थानों पर निर्वाचन की सुविधा हो।
3. आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाय।
4. पंजाब तथा उत्तर–पश्चिमी सिमान्त प्रान्त का एक मे विलय कर दिया जाय, परन्तु स्थान आरक्षित न किया जाय।
5. पिछड़े वर्गों की शैक्षिक आर्थिक प्रगति के लिए स्थान आररिक्षत न करके संविधान में विशेष व्यवस्था किया जाय।

28 अगस्त 1928 को पुनः लखनऊ मे सर्वदल सम्मेलन किया गया। इसमें समिति की सिफारिशों पर कई दिनों तक बाद–विवाद चला। पृथक निर्वाचन प्रणाली पर व्यापक मतभेद था।

रिपोर्ट में संवैधानिक प्रावधान– नेहरू रिपोर्ट में अनेकानेक संवैधानिक व्यवस्था थी, जिसको निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है।[5]

1. नेहरू रिपोर्ट में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या थी।
2. प्रान्तों में भी केन्द्र की भाँति उत्तरदायी शासन स्थामिति करने की व्यवस्था थी।
3. भारत के लिए औपनिवेशिक शासन की बात की गयी थी।
4. केन्द्रिय व्यवस्थापिका को दो सदनीय बनाने के बात की गयी थी।
5. केन्द्र में पूर्ण उत्तदायी सरकार की स्थापना किया जाय।
6. न्यायपालिका विधायिका से स्वतन्त्र हो।
7. केन्द्र मे एक चौथाई स्थान मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व हो।
8. प्रान्तों का गठन भाषाई आधार पर किया जाय।
9. धर्म निरपेक्ष देश की स्थापना किया जाय राजनीति धर्म से अलग रहे।
10. भारत में उच्चतम न्यायालय, लोकसेवा आयोग तथा एक प्रतिरक्षा समिति की व्यवस्था हो।

नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया– सर्वदलीय सम्मेलन मे नेहरू कमेटी रिपोर्ट का मुस्लिम लीग ने घोर प्रतिरोध किया।[6] नेहरू कमेटी रिपोर्ट की प्रतिक्रिया स्वरूप जिन्ना ने अपनी चौदह सूत्रीय मांग रखी।[7] आगा खाँ ने इस रिपोर्ट का विरोध इस आधार पर किया कि उनका मानना था कि देश के सभी प्रान्तो को स्वतन्त्रता दिया जाय।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का युवा वर्ग जिसमें पं. जवाहर लाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस थे ये लोग भी औपनिवेशिक शासन से सन्तुष्ट नही थे। कुछ आलोचकों का यह मानन है कि असहयोग और खिलाफत आन्दोलन भारतीय राष्ट्रवाद की यात्रा के महत्वपूर्ण चरण है। इससे राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ था। परन्तु राष्ट्रवाद की यह धारा 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक जाते–जाते छिन्न–भिन्न हो गयी इसका प्रमुख कारण नेहरू कमेटी रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाला असन्तोश था।

निष्कर्ष– नेहरू कमेटी रिपोर्ट कांग्रेस की अन्तिम कृति थी। इसने अनेक मुद्दों का सामना किया और एक सर्वमान्य समाधान का प्रयास भी, परन्तु इसकी अनुषंसाओं का प्रबल विरोध हुआ। इस पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि कांग्रेस मे ही फांक पड़ने की सम्भावना हो गयी। कुछ आलोचकों की दृष्टि मे समिति की रिपोर्ट काल्पनिक तथा अव्यावहारिक थी। चाहे जितनी आलोचना किया जाय। इस समिति ने एक बात स्पष्ट कर दिया कि 1928 तक भारतीय राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में स्वतन्त्र भारत के लिए संविधान निर्माण की स्पष्ट योजना बन चुकी थी। यह रिपोर्ट लार्ड बर्केनहेड की चुनौती का सही प्रत्युत्तर था। एक संवैधानिक अवदान के रूप में इसे भूलाया नही जा सकता। सर शफात अहमद खॉ के शब्दों में– "नेहरू कमेटी रिपोर्ट ने देश के सम्मुख एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, जिसे कभी भूलाया नही जा सकता। "महत्मा गाँधी पं. मोतीलाल नेहरू को बधाई देते हुए कहे थे कि – " उनकी कोशिश

के बिना कोई समिति नही बन पाती और कोई रिपोर्ट भी नही बन पाता।"[8]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, प्रो. चन्द्रबली,, भारतीय राजनीति मे स्वराज्य पार्टी की भूमिका, रचना प्रकाशन बनारस 1997. पृ. 20.
2. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, सस्ता साहित्य प्रकाशन, पटना, पृ. 299.
3. सर्वदल सम्मेलन की रिपोर्ट A.I.C.C पृ. 40.
4. मोतीलाल का पत्र गाँधी जी के नाम 11 जून 1928, मोतीलाल पेपर्स।
5. सिंह, प्रो. चन्द्रबली, वही पृ. 40.
6. ग्रोवर, बी.एल., यशपाल ग्रोवर, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास, एस.चन्द एण्ड कम्पनी, 1985 पृ. 246–247.
7. विपिन चन्द्र पाल, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियन्ट ब्लैक स्वान प्रा.लि. नयी दिल्ली 2008 पृ. 290.
8. गाँधी वाड्मय, खण्ड 11 पृ. 212.

*****